न्यायालय संभागीय आयुक्त भरतपुर

अपील संख्या :– 43/2019 (76 भू राजस्व अधिनियम 1956) (R.C.M.S . no 2019/00047)

टीकाराम पुत्र श्रीया जाति ब्राहमण निवासी बन्ध बारैठा तहसील बयाना जिला भरतपुर।

.....अपीलान्ट

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बयाना जिला भरतपुर।

.....रैस्पोडेन्ट

अपील विरूद्ध आदेश अतिरिक्त जिला कलक्टर भरतपुर दिनाक 13.3.2019 व सिलसिले अपील संख्या 37/2018 टीकाराम बनाम सरकार व सिलसिले नामान्तरकरण संख्या 278 दिनांक 13.12.2017 ग्राम बन्ध बारैठा तहसील बयाना जिला भरतपुर।

उपस्थितिः–

1. श्री कृष्ण कुमार शर्मा वकील अपीलान्ट।
2. राजकीय अधिवक्ता।

निर्णय

दिनांकः– 20.6.2019

यह अपील अन्तर्गत धारा 76 भू राजस्व अधिनियम अतिरिक्त जिला कलक्टर भरतपुर के निर्णय दिनांक 13.3.2019 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से हैं कि तहसीलदार बयाना ने अपने आदेश दिनांक 13.12.2017 से मुताबिक हुकमन आदेश उपखण्डाधिकारी बयाना दिनांक 12.12.2017 के आधार पर नामान्तरकरण संख्या 278 दिनांक 13.12.2017 स्वीकार किया गया। जिसके विरूद्ध अतिरिक्त जिला कलक्टर भरतपुर के समक्ष अपील पेश की गई। अतिरिक्त जिला कलक्टर भरतपुर द्वारा हुक्मन आदेश के आस्तित्व में रहते हुये उसके आधार पर खोले गये नामान्तरकरण 278 में कोई विधिक त्रुटी न होने के कारण अपीलाधीन आदेश दिनांक 13.3.2019 पारित करते हुये अपील खारिज की गई । इस आदेश के विरूद्ध यह अपील पेश की गई है।

वकील अपीलान्ट द्वारा अपनी बहस में अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि तहत अदालत का आदेश खिलाफ कानून रूयेदाद मिसिल है जो काबिल मंसूखी है। हर दो तहत अदालतों ने इस तथ्य पर कोई गौर नहीं किया कि अपीलाधीन नामान्तरकरण दर्ज करने से पूर्व अपीलान्ट को न तो नोटिस जारी किये गये न ही सुनवाई का अवसर दिया गया है। नामान्तरकरण दर्ज करते वक्त मौके की जांच भी नहीं की गई है। तथाकथित फर्जी कार्यवाही के आधार पर अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है वह पूर्ण रूप से फर्जी है व गैर कानूनी है व कानून व मौके के विपरीत है । फर्जी कार्यवाही के आधार पर खोला गया अपीलाधीन नामान्तरकरण स्वयं ही फर्जी होने के कारण काबिल निरस्तनीय है। तहत अदालत अतिरिक्त जिला कलक्टर भरतपुर ने इस तथ्य पर भी कोई गौर नहीं किया कि नामान्तरकरण

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

में दर्ज आराजी में कोई किसी भी प्रकार का कोई रास्ता कभी कायम ही नहीं था और न ही अब है। बल्कि सम्पूर्ण आराजी का सम्पूर्ण भाग दो फसली है जिसमें दोनों फसल होती है व उक्त आराजी चारों ओर से खेतों से घिरी हुई है व उक्त आराजी की स्थिति व डौल मैडों की स्थिति आज भी उसी प्रकार कायम है जो सैंकडों साल पूर्व थी। अपीलाधीन नामान्तरकरण की कार्यवाही पूर्ण रूप से गोपनीय तरीके से की गई है जिसका अपीलान्ट को कोई जानकारी ही नहीं थी। तहत अदालत ने अपील को विधिविरूद्ध तरीके से खारिज कर दिया है। यह कि आदेश दिनांक 12.12.2017 एसडीओ बयाना ने खातेदार के खेत आराजी ख0नं0 3965/0.37 व 3966/0.20 जिन्हे मसाफी महमदपुरा में इन नम्बरों को 1798 दर्ज किया गया है, वाकै ग्राम महमपुरा बन्ध बारैठा तहसील बयाना की किस्म चाही के स्थान पर गै0मु0 रास्ता का इन्द्राज अवैध रूप से किया गया है। क्यों कि उपखण्डाधिकारी बयाना को इस प्रकार आदेश पारित करने का कोई अधिकार ही नहीं है। यह कि प्रार्थना पत्र दिनांक 11.12.2017 को अंतर्गत धारा 251 आरटीएक्ट सरपंच ग्राम महमदपुरा द्वारा दिया गया है जो अवैध है क्यों कि रास्ते के लिये प्रार्थना पत्र भूमिधारी तहसीलदार ही दे सकता है। खातेदारान के बिरूद्ध रास्ते संबधी दावा दीवानी न्यायालय में दायर किया जाना चाहिऐ था जो नहीं किया गया। इसके अलावा असत्य प्रार्थना पत्र के आधार पर तैयार की गई मौका जांच रिपोर्ट भी फर्जी है। जिसके आधार पर बिना मौका जांच बिना सुनवाई के खोला गया अपीलाधीन नामान्तरकरण निरस्तनीय है। अन्त में वकील अपीलान्ट द्वारा निवेदन किया गया कि अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमायी जाकर आदेश हर दो अदालतेन तारीखी 13.3.2019 न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर भरतपुर एवं आदेश दिनांक 13.12.2017 तहसीलदार बयाना नामान्तरकरण संख्या 278 दिनांक 13.12.2017 निरस्त फरमाया जावे।

राजकीय अधिवक्ता द्वारा तहत अदालत अतिरिक्त जिला कलक्टर भरतपुर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 13.3.2019 की ताईद करते हुये कथन किया गया कि तहत अदालत द्वारा विधिवत कानूनी प्रकिया अपनाई जाकर एवं बाद परीक्षण ही अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। जिसमें कतई किसी प्रकार के कोई हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं रहती है। तहत अदालत द्वारा दौराने पारित अपीलाधीन आदेश न्यायिक मंशा के साथ–साथ जनहित को सर्वोपरि रखते हुये श्रीमान संयुक्त शासन सचिव राजस्व (ग्रुप–6) विभाग राजस्थान सरकार जयपुर के परिपत्र कमांक प–3 (2) राज–6/2003 पार्ट/04 दिनांक 10.8.2016 के मध्यनजर अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है इसलिऐ यह अपीलाधीन आदेश कानून के दायरे में रह कर ही पारित किया गया है। इसके अलावा तहत न्यायालय ने अपनी विवेचना में यह स्पष्ट किया है कि ''..... विभिन्न माननीय न्यायालयों द्वारा यह स्पष्ट सिद्धान्त प्रतिपादित किये गये है कि जब तक मूल आदेश आस्तित्व में है तब तक उसके आधार पर खोला गया नामान्तरकरण निरस्त नहीं किया जा सकता है।.....'' इसी आधार पर तहत अदालत ने अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है जो न्यायिक है। माननीय विभिन्न न्यायालयों की मंशा के अनुरूप है जिसमें कतई किसी प्रकार के कोई हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं रहती है। चूंकि मूल हुक्मन आदेश दिनांक 12.12.2017 आज भी आस्तित्व में है लिहाजा उसके आधार पर खोले गये नामान्तरकरण को निरस्त किये जाने का कोई औचित्य नहीं रहता है । अपीलान्ट द्वारा अपील बिना किसी ठोस आधार के पेश की गई है खारिज योग्य रहती है।

अन्त में राजकीय अधिवक्ता द्वारा निवेदन किया गया कि अपीलाधीन आदेश विधि संगत होने के कारण यथावत रखा जाकर अपील अपीलान्ट खारिज की जावे।

हमने वकील अपीलान्ट की बहस तर्कों पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। तहत अदालत के अपीलाधीन निर्णय दिनांक 13.3.2019 में की गई विवेचना कि ''. ..... विभिन्न माननीय न्यायालयों द्वारा यह स्पष्ट सिद्धान्त प्रतिपादित किये गये है कि जब तक मूल आदेश आस्तित्व में है तब तक उसके आधार पर खोला गया नामान्तरकरण निरस्त नहीं किया जा सकता है.....'' से हम पूर्ण रूपेण सहमत है। चूंकि उपखण्डाधिकारी बयाना द्वारा पारित मूल हुक्मन आदेश दिनांक 12.12.2017 आज भी आस्तित्व में लिहाजा अपील अपीलान्ट खारिज योग्य ही रहती है।

इसके अलावा न्यायालय हाजा में दायर मूल हुक्मन आदेश दिनांक 12.12.2017 के खिलाफ एक अन्य अपील संख्या 124/2018 टीकाराम बनाम राज0 सरकार का आज ही निर्णय किया गया है । उपखण्डाधिकारी बयाना द्वारा बाद परीक्षण रास्ता स्पष्ट प्रमाणित हो जाने के उपरान्त ही श्रीमान संयुक्त शासन सचिव राजस्व (ग्रुप–6) विभाग राजस्थान सरकार जयपुर के परिपत्र क्रमांक प–3 (2) राज–6/2003 पार्ट/04 दिनांक 10.8.2016 के अनुसरण में न्याय के नैसर्गिक सिद्धान्तों के मध्यनजर आमजन के आवागमन हित को ध्यान में रखते हुये मौके एवं रिकार्ड के अनुरूप ही आदेश दिनांक 12.12.2017 पारित किया गया है जिसमें कोई विधिक त्रुटी न होने के कारण अपील संख्या 124/2018 खारिज की गई है तथा उपखण्डाधिकारी बयाना द्वारा पारित मूल आदेश दिनांक 12.12.2017 यथावत रखा गया है। लिहाजा यह अपील मूल हुक्मन आदेश दिनांक 12.2.2017 के वर्तमान में आस्तित्व में बने रहने के कारण खारिज योग्य ही रहती है।

अतः उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। तहत अदालत अतिरिक्त जिला कलक्टर भरतपुर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 13.3.2019 में कोई विधिक त्रुटी न होने के कारण यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 20.6.2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(चन्द्रशेखर मूथा)
संभागीय आयुक्त
भरतपुर